[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 32/2018-सीमा शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 23 मार्च, 2018

सा.का.नि.   (अ), - सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 785 (अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्-:

उक्त अधिसूचना में, तालिका में,

(i) क्रम संख्या 515 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“515क	8529	ओपन सेल (15.6” और इससे अधिक), लिक्विड क्रिस्टल डिस्पले (एल.सी.डी.) और लाइट इमीटिंग डायोड (एल.ई.डी.) टीवी पैनल्स जो कि शीर्ष 8529 में आते हैं के विनिर्माण में प्रयोग हेतु ।	5%	-	9”;

(ii) क्रम संख्या 516 के समक्ष कॉलम (3) में, मद (i) का लोप किया जाएगा ।

[फा.सं.354/20/2017-टीआरयू]

(रूचि बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं0 50/2017-सीमा शुल्क, तारीख 30 जून, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. संख्यांक 785(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी जो अधिसूचना सं0 31/2018-सीमा शुल्क, तारीख 20 मार्च, 2018 सा.का.नि. 250 (अ), तारीख 20 मार्च, 2018 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई ।